रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246032
SG-DL-E-24052023-246032

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]	दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2023/ज्येष्ठ 2, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 70
No. 159]	DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2023/JYAISHTHA 2, 1945	[N. C. T. D. No. 70

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मई, 2023

सं. 03/2023–राज्य कर (दर)

सं. फा. 03 (44)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/441.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017–राज्य कर (दर), दिनांक, जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नालिखित संशोधन करते हैं, यथाः –

उक्त अधिसूचना में,–

(i) अनुसूची I – 2.5% में, क्रम संख्या 91क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः –

"गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल की गई हो";

(ii) अनुसूची II – 6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: –

(1)	(2)	(3)
''186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स '';

(iii) अनुसूची III– 9 % में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द ''[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]'' अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017–राज्य कर (दर), को सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022– राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(37)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/230, दिनांक 21 मार्च 2023, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय–I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd May, 2023

No. 03/2023-State Tax (Rate)

No. F.3 (44)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/441.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Government's Notification, No.1/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

(i) in Schedule I –2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled ";

(ii) in Schedule II –6%,after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"186A	8214	Pencil sharpeners";

(iii) in Schedule III –9%,against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words"[other than pencil sharpeners]" shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

Note : The principal notification No.1/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 12/2022 – State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (37)/Fin(Exp-I)/2022-23/DS-I/230 dated the 21th March, 2023.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp. I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA